

(ii) The reservation so exchanged is carried forward to the next three recruitment years after which the reservation shall lapse.

3. Ministry of Finance etc. are requested to give immediate effect to those orders.

Sd/-

(K. N. K. KARTHIAYANI)
Director

123 [Transferred to the 28th December, 1989]

CBI investigation into supply of edible oil by M/s. Biscomanu of Patna

124. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1216 given in the Rajya Sabha on the 3rd March, 1989 and state:

(a) whether in a similar case of supply of edible oil by M/s. Biscomanu of Patna the former President of Biscomanu and of NCCF incidentally is facing CBI charges in Ranchi, as mentioned by Shri Mohan Katre, Director, CBI in his interview in Illustrated Weekly of India issue of 14th May, 1989; and

(b) if so, whether Government propose to refer this matter of NCCF also to CBI so as to link both the cases having similarity and bearing on each other?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) and (b) NCCF as also this Department is not aware of any edible oil supplied by Biscomanu of Patna to their former President who was also President of NCCF. Government are aware of the statement attributed to have been made by Director CBI to the journalist and reported in Illustrated Weekly of 14-5-89.

Subject matter of Rajya Sabha Unstarred Question No. 1216 of 3rd March, 1989 related to Unstarred

Question No. 3121 of 19th August 1988 which related to supply of edible oil by NCCF to M/s. Manipur Wholesale Stores, Imphal. It was clarified in the reply that edible oil despatched by NCCF, Calcutta, to M/s. Manipur Wholesale Stores, Imphal was transported by a private transporter. The police inquiry conducted had shown that no misappropriation had taken place in the supply of goods. Further, Central Registrar of Cooperative Societies had passed orders on 20th June, 1988 in favour of NCCF for recovery of an amount of Rs. 21.58 lakhs from the Manipur State Federation alongwith interest.

NCCF internal investigation had shown lapses on the part of the then Regional Manager, East (under suspension) and major penalty proceedings are under progress against him in respect of this particular incident and some others.

There being no connection between the two, question of referring the matter to CBI does not arise.

Disciplinary action against the guilty officers causing losses to NCCF

125. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1269 given in the Rajya Sabha on the 5th May, 1989 and state:

(a) what disciplinary action has been taken against the guilty officers for causing losses to NCCF to the tune of Rs. 7 lakhs in the matter of controlled cloth activity; and

(b) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) The NCCF have reported that they did not suffer any loss in the business of controlled

cloth. Out of outstanding dues of Rs. 193.20 lakhs, for the period ending 30-6-85, the dues on account of controlled cloth were Rs. 16.67 lakhs. The outstanding dues have not been treated as loss, since the amount is to be recovered by the NCCF.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी के मामले

126. श्री अजीत जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० सेनन) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में मूर्तियों की चोरी 1986 और 1987 में 65 और 66 से बढ़कर 1988 में 101 और अक्टूबर, 1989 तक 93 हो गई है ।

(ग) भारत सरकार ने पुरावशेषों की उपयुक्त सुरक्षा तथा इनकी चोरी और तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करना जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबन्ध करता है :—

(1) पंजीकरण अधिकारियों के पास कुछ किस्मों के पुरावशेषों (सभी प्रकार की मूर्तियों, कलाचित्र और सुसज्जित एवं सचित्र पाण्डुलिपियाँ) का आवश्यक पंजीकरण ;

(2) ऐसे पंजीकृत पुरावशेषों के संचालन के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को सूचना देना ;

(3) पुरावशेषों के व्यापार को अनुज्ञापित शुदा व्यापारियों तक सीमित करना ;

(4) पुरावशेष के निर्यात को प्रतिबंधित करना ।

2. पहरा और निगरानी प्रबन्धों को सुदृढ़ करने और कुछ मंडल मुख्यालयों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन महत्वपूर्ण केन्द्रों द्वारा संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में से कुछ पर सशस्त्र प्रहरी नियुक्त किए गए हैं । अबद्ध मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति शोडों और स्थलों पर ही पुरावशेषों को प्रदर्शित करने के लिए नए स्थल संग्रहालयों का निर्माण किया गया है।

3. सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों के अवैध आयात-निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के तरीकों पर यूनेस्को समझौते की वर्ष 1977 में भारत ने अभिपुष्टि की है । यह समझौता अन्य बातों के साथ-साथ इसका भी उपबन्ध करता है कि संविदाकार पक्षकार संबंधित देशों की चुराई गई सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों को अपनी सीमा में अवैध आयात को रोकने के लिये कदम उठाएंगे । समझौते के अधीन संविदाकार पक्षकारों के अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद के होंगे न कि इससे पहले के ।

4. पुरावशेषों की चोरी और गुप्त होने के मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक पुरावस्तु सैल खोला गया है ।

5. अबद्ध मूर्तियों, कलाचित्रों, सचित्र पाण्डुलिपियों इत्यादि के प्रलेखन हेतु पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं ।

6. पुरावशेषों को पहचान करके उनका अवैध निर्यात रोकने में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के प्रमुख अन्तर-राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर